भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *217
उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

दिव्यांगजन अधिकार नियमों के अनुपालन हेतु व्यवस्था

***217. श्री कीर्ति आज़ाद:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकार नियमों के तहत अधिसूचित पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल प्राधिकरण है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत आपराधिक दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् इसके तहत वर्ष-वार कितने लोग अभियोजित हुए और इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दिव्यांगजन अधिकार नियमों के अनुपालन हेतु व्यवस्था " के संबंध में श्री कीर्ति आज़ाद द्वारा पूछे गए दिनांक 10.12.2024 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या*217 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनो के लिए समग्र नीति, आयोजना और बनाए गए कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल विभाग है। तथापि, दिव्यांगजनों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि की जिम्मेदारी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 (2) के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा (40), में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संबंधित कार्यक्षेत्र (डोमेन) नियामकों या अन्यथा के माध्यम से उक्त नियम के तहत निर्दिष्ट सुगम्यता के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है।

(ख) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं:

(i) धारा 89 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक दंड का प्रावधान है।

(ii) धारा 92 (1) में सार्वजनिक स्थान पर दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने पर कारावास (6 महीने से कम नहीं और 5 साल तक) के रूप में दंड का प्रावधान है।

(iii) धारा 93 में उक्त अधिनियम के अनुसरण में मांगी गई बही-खातों/खातों/सूचनाओं को प्रस्तुत न करने पर प्रत्येक अपराध के संबंध में जुर्माने के रूप में दंड का प्रावधान है जो पच्चीस हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग): मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

*****